न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी: श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 12/2023

सी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/27

वादी	बनाम	प्रतिवादी
		पार्टी संख्या 01
भंवरलाल पुत्र भीमाजी जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		1.शंकरलाल पुत्र गुणेशमलजी ओसवाल के वारिसान

1/1.गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल के वारिसान

1/1/1.आशीष मेहता पुत्र गौतमचन्द

1/1/2.निकीता पुत्री गौतमचन्द

1/1/3.ममता पुत्री गौतमचन्द

1/1/4.सपना पुत्री गौतमचन्द

1/1/5.समता पुत्री गैतमचन्द

1/1/6.कमला पत्नि गौतमचन्द

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/2.पुष्पादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि मांगीलाल के वारिसान

1/2/1.सूरज जीरावला पुत्र मांगीलाल

1/2/2.अशोक जीरावला पुत्र मांगीलाल

1/2/3.अनिता पुत्री मांगीलाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/3.भागूदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि नेनमल के वारिसान

1/3/1.कल्पना पुत्री नेनमल

1/3/2.निर्मला पुत्री नेनमल

1/3/3.रेखा पुत्री नेनमल

1/3/4.राजेश्वरी पु[illegible]

1/[illegible] पुत्री नेनमल

निवासी [illegible] पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

1/4.उमीया देवी पुत्री [illegible]रलाल पत्नि नवरतन के वारिसान

1/4/1.देवकीबेन पुत्री नवरतन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1/4/2.महेन्द्र पुत्र नवरतन

1/4/3.हुकमीचन्द्र पुत्र नवरतन

निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा

1/5.मंजूदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि रमेश के वारिसान

1/5/1.धवन पुत्र रमेश

1/5/2.रणजीत पुत्र रमेश

1/5/3.सीमा पुत्री रमेश

निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा

1/6.निर्मलादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि ताराचन्द के वारिसान

1/6/1.मुकेश पुत्र ताराचन्द

1/6/2.रेखा पुत्री ताराचन्द

1/6/3.सीमा पुत्री ताराचन्द

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/7.अमावीदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि पुखराज के वारिसान

1/7/1.विजय बागमार पुत्र पुखराज

1/7/2.महेन्द्र बागमार पुत्र पुखराज

1/7/3.महेश बागमार पुत्र पुखराज

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

पार्टी संख्या 02

2.रतन पुत्र खीमाजी जाति घांची

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

3.रणछोड़ पुत्र खीमाजी जाति घांची

निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

4.छगन पुत्र खीमाजी जाति घांची निवासी

बालोतरा तहसील पचपदरा

पार्टी संख्या 03

5.राजस्थान सरकार [illegible]

पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थिति :-

1.श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2.श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1/1 व 1/1/4 की ओर से उपस्थित।

3.शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 29.09.2023

1. प्रतिवादी संख्या 1/1/4 सपना पुत्री गौतमचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहित का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है,कि वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन भूमि की खातेदारी हक धोषणा हेतु पूर्व में इन्ही तथ्यों के आधार पर वाद संख्या 339/1991 शीर्षक छगनलाल वगैरह बनाम गौतमचंद वगैरह पेश किया,जो 17.7.1995 को वकील वादी द्वारा पेरोकारी के निर्देश नहीं होना जाहिर करने पर खारिज किया गया। चूंकि इस प्रकार आदेश 9 नियम 8 में खारिज किया गये वाद का आदेश 9 नियम 9 में पुनः बरामद कराये जाने का प्रावधान है तथा उन्ही वाद हेतुक पर नया वाद लाना'विधि द्वारा वर्जित है,अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट फरमाया जाने की कृपा करावें।

2.वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 339/1991 जो वादी छगनलाल ने पेश किया था,जिसमें वर्तमान वाद के वादी भंवरलाल के न तो हस्ताक्षर हैं,न ही वादी भंवरलाल का वकालतनामा तथाकथित अधिवक्ता को ही दिया गया था। पार्टी संख्या 02 रतनलाल,रणछोड़राम व छगनलाल ने मिलकर उक्त वाद पेश किया था। जिसमें भंवरलाल का कोई सरोकार नहीं हैं,न ही भंवरलाल को उक्त वाद का इल्म ही था। ऐसी स्थिति में उक्त वाद जो बाबुलाल सांखला द्वारा बिना कोई नोटिस दिये,नो स्टेक्शन में खारिज किया गया, जिससे वादी भंवरलाल उक्त वाद से किसी तरह से कोई पाबन्द नहीं है तथा' यहां यह कहना समीचीन हैं,कि यदि तथाकथित पूर्ववर्ती वाद नो स्टेक्शन में खारिज किया गया है,तो नया वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु वादीगण स्वतंत्र हैं,यही विधि की मंशा हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद संख्या 339/1991 किसी प्रकार से वादी भंवरलाल के विरूद्ध रेसजूडिकेटा का प्रभाव नहीं रखता हैं। [illegible] पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के कवर में नहीं आता हैं। क्योंकि [illegible] कोई जानकारी नहीं रखता न उसे हुई तथा न ही वादी [illegible] क्षर हैं, न ही समनित किया गया। ऐसी स्थिति में वादी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

3.तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.9.2023 को बहस सुनी गई। उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस विभिन्न न्यायिक द्रष्टांत प्रस्तुत किये गये,जो शामिल पत्रावली है। वक्त बहस वकील प्रतिवादी संख्या

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

01/1/4 ने निवेदन किया कि वादी ने वर्तमान वाद पुरानें खसरा संख्या 617 रकबा 09 बीघा 05 विस्वा व खसरा संख्या 616 रकबा 10 बीघा 05 विस्वा नया खसरा संख्या 542 क्षेत्रफल 2.8454 हैक्टयर को लेकर जनवरी 2023 में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया हैं। वादी ने उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी पार्टी संख्या 02 के द्वारा रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा दिनांक 13.04.1970 को खरीद करने का कथन किया हैं। इन्ही खसरों के लेकर इससे पूर्व इन्ही तथ्यों का पूर्ववृति वाद संख्या 339/1991 शीर्षक वादी छगनलाल बनाम प्रतिवादी गौतमचंद वगैरा पेश किया,जो पंजिकृत हुआ। उक्त वाद संख्या 339/1991 के विचाराधीन रहते वादीगण के अधिवक्ता श्री बाबूलाल सांखला ने दिनांक 17.07.1995 को पेरोकारी का निर्देश नहीं होना न्यायालय श्री मे अभिव्यक्त कर उक्त वाद को खारिज किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है,कि वादी का वाद संख्या 339/1991 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 08 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया था। उपरोक्त वाद संख्या 339/1991 खारिज होने के पश्चात् नया वाद संख्या 102/2000 शीर्षक वादी छगन बनाम प्रतिवादी गौतमचंद वगैरा पेश किया,नया दावा लाना विधि द्वारा वर्जित था। उन्हें पुराना वाद संख्या 339/1991 के आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. के तहत वाद को बरामद करवाने का अधिकार था। कि पूर्ववृति वाद संख्या 102/2000 वादी छगन द्वारा पेश किया गया था,जो वर्तमान वाद के वादी का सगा भाई है। उक्त वाद में वादी भंवरलाल बतौर प्रतिवादी संख्या 15 के पक्षकार था। वादी छगन ने उक्त वादपत्र के पद संख्या 09 में वादी व प्रतिवादी 15,16,17 के पक्ष में डिक्री मागी गयी थी। कि पूर्ववृति वाद संख्या 102/2000 के प्रतिवादी बाबूलाल व चम्पालाल ने आदेश नियम 07 नियम 11 सी.पी. सी. के तहत प्रार्थना–पत्र किया कि वाद संख्या 102/2000 विधि द्वारा वर्जित है,क्योंकि पूर्व वाद संख्या 339/1991 आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. के तहत बरामद करवाना चाहिये था। जिस पर उक्त वाद संख्या 102/2000 दिनांक 15.09.2006 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं हुई। इस प्रकार निर्णय अन्तिम रहा जो "रेसज्यूडीकेटा" का असर रखता है। जिससे नया दावा लाने से वादी बाधित हैं। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए तर्क दिए कि पूर्व के वाद संख्या 339/1991 में वर्तमान वाद का वादी भंवरलाल बतौर वादी पक्षकार था तथा वाद संख्या 102/2000 में वादी भंवरलाल बतौर प्रतिवादी संख्या 15 पक्षकार था तथा इस दावे में वादी छगनराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में डिक्री चाही थी,वादी का पूर्ववाद संख्या 339/1991 को आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. के तहत बरामद करवाना चाहिये था,नया दावा लाने की मुमानियत हैं। वाद संख्या 102/2000 आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया,जिसमें डिक्री जारी की जाती है। जिससे वादी छगनराम व प्रतिवादी संख्या 15 भंवरलाल के समान हित थे। अतः उक्त निर्णय पर ... असर रखते है,जिससे उक्त निर्णय "रेसज्यूडिकेटा "का असर रखता है। अतः वादी का वाद ... द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावें। अपनी बहस के समर्थन में ए.आइ.आर.1950 अजमेर 30(2),सी.पी.सी. आदेश 9 नियम 8 एण्ड आदेश 9 नियम 9 प्रति,आर.आर.डी. वर्ष 1993 पेज 575,आर.आर.टी. 2006(1)पेज 226,आर.आर.टी.2017(2) पेज 803 व आर.आर.डी.2019 पेज 132 के न्यायिक द्रष्टांत पेश किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 338/1989 जो वादी इमरतलाल ने पेश किया था जिसमें प्रतिवादी वाद के वादी भंवरलाल के न तो हस्ताक्षर हैं न ही वादी भंवरलाल का अधिकारपत्र/वकालतनामा अधिवक्ता को ही दिया गया था। मर्टी संख्या 12 इमरतलाल पुत्र ... इमरतलाल ने मिलकर उक्त वाद पेश किया था जिसमें भंवरलाल का कोई हस्ताक्षर नहीं है न ही भंवरलाल को उक्त वाद का ज्ञान ही था। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को बाबूलाल वगैरह द्वारा बिना कोई नोटिस दिये न्यायालय में खारिज किया गया जिससे वादी भंवरलाल उक्त वाद से किसी तरह से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा यह भी कथन समीचीन है कि यदि पूर्ववर्ती वाद न्यायालय में खारिज किया गया है तो नया वाद प्रस्तुत करने हेतु वादीगण स्वतंत्र हैं जो विधि से सही है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद संख्या 338/1989 किसी प्रकार से वादी भंवरलाल के विरुद्ध रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव नहीं रखता है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 338/1989 के न्यायालय में खारिज होने के बाद नया वाद 112/2001 मर्टी संख्या 12 इमरतलाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी वर्तमान वाद के वादी भंवरलाल द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसमें भी वर्तमान वाद के वादी भंवरलाल को कोई नोटिस समन ही दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त वाद भी वादी के विरुद्ध किसी प्रकार से प्रभाव नहीं रखता है। वादी अपने हक हेतु नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 112/2001 में भंवरलाल पक्षकार आवश्यक था लेकिन उसको कोई नोटिस या समन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त वाद की भी उसको जानकारी नहीं थी। वादी ने वर्तमान में मर्टी संख्या 12 के पक्ष में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उक्त दोनों ही वाद में वादी भंवरलाल का कोई हक नहीं होने से वादी भंवरलाल के विरुद्ध रेसज्यूडिकेटा का कोई प्रभाव नहीं रखता है। वर्तमान वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के दायरे में नहीं आता है क्योंकि वादी भंवरलाल उक्त दोनों ही वाद की कोई जानकारी नहीं रखता न उसे सुना गया तथा न ही वादी का सुना गया न वादी के हस्ताक्षर हैं न ही समर्थित किया गया। ऐसी स्थिति में वादी के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वर्तमान वाद अपने खरीद के दस्तावेज के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य पर ही अदालत में अपना हक प्राप्त करने हेतु लाया गया है तथा वादपत्र प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री के है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 342 के पुराने खसरा ... का वादी व वादी के भाइयों द्वारा दिनांक ...1.07 ... का क्रेता रजिस्टर्ड विलेख खरीद किया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 28.1.07 ... का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। इसी दरम्यान द्वितीय सेटलमेंट में उक्त ... खसरा का नया खसरा 342 बना तथा द्वितीय सेटलमेंट की जमाबंदी तैयार करते वक्त ... मर्टी संख्या 1 का नाम ही इन्द्राज किया गया जो राजस्व कर्मचारी ... से हुआ था। ऐसी स्थिति में उक्त खरीदशुदा भूमि का हक ... अधिकार रखता है जो प्रथम दृष्टया ही काबिल डिक्री योग्य है। ऐसी स्थिति में ... के भाई की खामी का खामियाजा वादी भंवरलाल को दिया जाना कानूनी रूप से उचित नहीं है तथा वादीगण के मर्दों की भूल व मात्र तकनीकी आधार पर वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

जावे। अपनी बहस के समर्थन में 2015 डी.एन.जे.(रेवन्यू) पेज 189 व 2016 डी.एन.जे.(रेवन्यू) पेज 196 के न्यायिक दृष्टांत पेश किया तथा पूर्ववर्ती वाद जो छगनलाल द्वारा पेश किया गया,कि प्रमाणित प्रति पेश की गई।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि वादी भंवरलाल की ओर राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 542 (पुरानें खसरा संख्या 616 व 617) रकबा (2.8454 हैक्टयर) 11.0500 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्सा का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवानें की मुख्य इस्तदुआ चाही गई। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबध में वादी भंवरलाल व उसके भाई छगन,रतन व रणछोड़ पिसरान खीमाजी (वर्तमान वाद में पार्टी संख्या 02) की ओर एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त भूमि के सबंध में खातेदारी घोषणा का वाद वर्तमान वादपत्र में प्रतिवादी पार्टी संख्या 01 के विरूद्व पेश किया गया था,जो वाद मुकदमा संख्या 339/1991 अनवान छगन बनाम गौतमचन्द वगैरा दिनांक 25.10.1991 को दर्ज रजिस्टर हुआ तथा बाद सुनवाई वादीगण अधिवक्ता के नो इंस्ट्रक्शन के आधार पर वादीगण का वाद आदेश दिनांक 17.7.1995 को खारिज किया गया,जो कि पत्रावली के संलग्न वादपत्र व आदेशिकाओं की फोटोप्रति से स्पष्ट है। उक्त वाद संख्या 339/1991 में वर्तमान प्रकरण में वादी भंवरलाल बतौर वादी पक्षकार था तथा उक्त प्रकरण लगभग 03 वर्ष से अधिक समय तक इसी न्यायालय में चला था और बाद सुनवाई नो इंस्ट्रक्शन के आधार पर खारिज किया गया था। तत्पश्चात वर्तमान वाद में पार्टी संख्या 02 में प्रतिवादी छगनलाल की ओर से इसी वादग्रस्त भूमि के संबध में इन्ही पक्षकारान के विरूद्व वादपत्र पेश किया था,जो मुकदमा संख्या 102/2000 पर दर्ज रजिस्टर हुआ और उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 10 अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इस आशंय की पेश की गई थी,कि वादी ने वाद माह जुलाई 2000 में प्रस्तुत किया,इससे पूर्व उन्ही तथ्यों का पूर्ववर्ती वाद वादी ने दिनांक 23.10.1991 को श्री न्यायालय में पेश किया,जो वाद संख्या 339/91 वादी छगन बनाम गौतम के विचाराधीन रहते वादी के अधिवक्ता श्री बाबुलाल सांखला ने दिनांक 10.7.95 को पेरोकारी के निर्देश नहीं होने न्यायालय श्री में अभिकथित कर वादी का दावा खारिज कर दिया। उपरोक्त तथ्यों से यह भली भांति स्पष्ट है,कि वादी का वाद अन्त[illegible] तहत खारिज किया गया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो के अ[illegible] बहस सुनी जाकर वादी का वाद विधि से वर्जित मानतें हुए अपने [illegible] वाद खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात लगभग 16 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात वादी भंवरलाल द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि के संबध में इन्ही पक्षकारान के विरूद्व खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा का वाद पुनः पेश किया गया। जिसमें पूर्ववर्ती वाद संख्या 339/1991 में वादी भंवरलाल के साथ छगन,रतन व रणछोड़ पिसरान खीमाजी वादी पक्षकार थे। जो हस्तगत वादपत्र में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी भंवरलाल ने प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जबकि पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 339/1991 व राजस्व वाद संख्या 102/2000 में वादग्रस्त भूमि व पक्षकार एक समान है। पूर्ववर्ती वाद में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गई थी और हस्तगत वादपत्र में भी वादी द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गई है।

6 उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाद संख्या 339/1991 तथा 102/2000 एवं हस्तगत प्रकरण संख्या 12/2023 में वाद हेतुक (Cause Of Action) एक ही है तथा समान वाद हेतुक के संबध में पैरोकारी के निर्देश नहीं होने पर खारिज होने पर उसके बहाली हेतु स्पष्ट (प्रावधान) है,अतः हम यहां व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 तथा 9 (के प्रावधानों) का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जो निम्नानुसार है:-

आदेश 9 नियम 8:–जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता वहां प्रक्रिया–जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। किन्तु यदि प्रतिवादी दावें या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरूद्व डिक्री पारित करेगा और जहां दावें का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा,जहां तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावें से है।

आदेश 9 नियम 9:–व्यक्तिक्रम के कारण वादी के विरूद्व पारित डिक्र नए वाद का वर्जन करती है–

(1) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है,कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी,उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चो या अन्य बातों के बारें में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे,खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

(2)इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा,जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हों।

7.उक्त वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध में इन्ही पक्षकारान के विरूद्व पूर्ववर्ती वाद संख्या 339/1991 पेश किया,जो बाद सुनवाई आदेश दिनांक 10.7.1995 को खारिज हुआ और बाद में पुनःइसी विषयवस्तु का वाद पेश किया,जो मुकदमा संख्या 102/2000 दर्ज होकर बाद सुनवाई विधि से वर्जित मानतें हुए इसी न्यायालय द्वारा निर्णय [illegible].2006 को खारिज किया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा लगभग 16 वर्ष व्यतीत होने [illegible] पश्चात [illegible] हस्तगत वादपत्र पेश किया,जिसकी विषयवस्तु पूर्ववर्ती वादपत्रों के एक समान [illegible] कि पूर्ववर्ती वादपत्र इसी न्यायालय से निस्तारण हो चुके है। इस कारण हस्तगत वादपत्र विधि [illegible] वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

8.वकील वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांत 2015 डी.एन.जे.(रेवन्यू) पृष्ठ 195 अनवान केवलाराम जाट बनाम जगराम व अन्य वगैरा निर्णय दिनांक 02.7.2015 इस प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा नहीं होता है,क्योंकि हस्तगत वादपत्र में वर्णित अभिवचनों पर ही विचार किया गया है,वादी का वाद विधि से वर्जित है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि के संबध में वर्तमान वाद की विषयवस्तु व पक्षकार पूर्ववर्ती वादपत्रों के एक समान है,पूर्ववर्ती वादपत्र इसी न्यायालय द्वारा खारिज किए गए है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने के कारण खारिज योग्य है। इसी प्रकार न्यायिक द्रष्टांत 2016 डी.एन.जे.(रेवन्यू) पृष्ठ 193 अनवान भंवरसिंह राजपूत बनाम भगवानसिंह व अन्य वगैरा निर्णय दिनांक 07.9.2016 इस प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा नहीं होता है,क्योंकि पूर्ववर्ती वादपत्र गुणावगुण पर निस्तारण किए गए है,इस कारण हस्तगत वादपत्र रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांत आर.आर.डी.1993 पृष्ठ 575 व 2006(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 226 इस प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा होते हैं।

9.उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निर्ष्कष पर पंहुची है,कि वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

10. लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01/1/4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री-पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी: श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 12/2023

सी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/27

वादी बनाम प्रतिवादी

गणेशलाल पुत्र भीमाजी

जाति घांची निवासी बालोतरा

तहसील पचपदरा

पार्टी संख्या 01

1.शंकरलाल पुत्र गुणेशमलजी ओसवाल के वारिसान

1/1.गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल के वारिसान

1/1/1.आशीष मेहता पुत्र गौतमचन्द

1/1/2.निकीता पुत्री गौतमचन्द

1/1/3.ममता पुत्री गौतमचन्द

1/1/4.सपना पुत्री गौतमचन्द

1/1/5.समता पुत्री गौतमचन्द

1/1/6.कमला पत्नि गौतमचन्द निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/2.पुष्पादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि मांगीलाल के वारिसान

1/2/1.सूरज जीरावला पुत्र मांगीलाल

1/2/2.अशोक जीरावला पुत्र मांगीलाल

1/2/3.अनिता पुत्री मांगीलाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/3.भागूदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि नेनमल के वारिसान

1/3/1.कल्पना पुत्री नेनमल

1/3/2.निर्मला पुत्री नेनमल

1/3/3.रेखा पुत्री नेनमल

1/3/4.राजेश्वरी पुत्री नेनमल

1/3/5.विजयाबेन पुत्री नेनमल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

1/4.उमीया देवी पुत्री शंकरलाल पत्नि नवरतन के वारिसान

1/4/1.देवकीबेन पुत्री नवरतन

1/4/2.महेन्द्र पुत्र' नवरतन

1/4/3.हुकमीचन्द्र पुत्र नवरतन निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा

Signature Not Verified

1/5.मंजूदेवी पुत्री शंकरला[illegible] के वारिसान

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

1/5/[illegible]

1/5/2.रणजीत पुत्र रमेश

1/5/3.सीमा पुत्री रमेश निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा

1/6.निर्मलादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि ताराचन्द के वारिसान

1/6/1.मुकेश पुत्र ताराचन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

1/6/2 रेखा पुत्री ताराचन्द
1/6/3 सीमा पुत्री ताराचन्द निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
1/7 अमावीदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि पुखराज के वारिसान
1/7/1 विजय बागमार पुत्र पुखराज
1/7/2 महेन्द्र बागमार पुत्र पुखराज
1/7/3 महेश बागमार पुत्र पुखराज
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

पार्टी संख्या 02

2.रतन पुत्र खीमाजी जाति धांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
3.रणछोड़ पुत्र खीमाजी जाति धांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
4.छगन पुत्र खीमाजी जाति धांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

पार्टी संख्या 03

5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 12/2023
निर्णय दिनांक :–29..9.2023

वादी की ओर से श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1/4 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 29..9.2023 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 29.9.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	----	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	----
जोड	----	जोड	----

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested